**Fourteenth Loksabha**

**Session : 5**
**Date : 11-08-2005**

**Participants : Kushwaha Shri Narendra Kumar**

>

Title : Need to provide opportunities to the Scheduled Tribes to contest panchayat elections in U.P.

**श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा (मिर्ज़ापुर)** : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने संसद की स्वीकृति से उत्तर प्रदेश की कुछ अनुसूचित जातियों को जनजाति की मान्यता दी। इनमें उत्तर प्रदेश के एकमात्र आदिवासी बाहुल्य जनपद सोनभद्र की भी दस जातियां हैं - गोंड, खरवार, बैगा, पनिका, अगरिका, चेरो, पठारी, भरौतिया, पहिया, भुइयां आदि। इन्हें जनजाति घोति करने के बाद, इनकी संख्या के आधार पर आरक्षण देने की कार्रवाई नहीं की गई। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर 24 जुलाई को आदेश दिया गया कि वे पिछली आरक्षण व्यवस्था के तहत चुनाव लड़ सकते हैं।

*Not Recorded

MR. SPEAKER: This relates to a Panchayat in Uttar Pradesh. It has nothing to do with the Central Government.

**श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा** : फिर आदेश दिया गया कि मान्यता प्राप्त जनजातियां अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकतीं। ज्ञातव्य है कि सोनभद्र की 16 से 18 लाख की आबादी में 10 लाख आबादी आदिवासियों की है। …(व्यवधान) छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार से उसकी सीमाएं मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। संसद ने चुनाव आयोग को यदि स्वीकृति दी है तो उसका अनुपालन होना चाहिए। मिर्जापुर मंडल के आदिवासियों को ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है। उसमें भागीदारी के लिए चुनाव स्थगित करा कर नए सिरे से चुनाव का दिन और तारीख निर्धारित की जाए जिससे चुनाव में उनकी भागीदारी हो सÉBÉEä[R24]।

मेरा निवेदन है कि संसद की सर्वसम्मति से पिछली आरक्षण व्यवस्था के तहत ही मान्यताप्राप्त जनजातियों को चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान करें तथा शीघ्र जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : जिनका नाम लिस्ट में है सबका नाम आएगा, आप लोग जानते हैं। सबको मौका मिलेगा।

…(व्यवधान)